भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1951
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई की मुख्य विशेषताएं

+1951. **श्री अनुराग शर्मा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना, एकीकृत शीतागार सुविधाओं, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों और मूल्य संवर्धन इकाइयों के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या प्रगति हासिल हुई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और चालू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके माध्यम से कितना निवेश जुटाया गया और कितने रोजगार सृजित हुए हैं;

(ग) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने, खेत पर ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, निर्यात बढ़ाने और अपशिष्ट में कमी लाने के संबंध में उक्त योजना के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना का विस्तार करने के लिए मूल्य संवर्धन, ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु बुंदेलखंड सहित आकांक्षी और कृषि प्रधान क्षेत्रों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से पूरे देश में "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है।

पीएमकेएसवाई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) खेत से लेकर रिटेल तक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण अवसंरचना का विकास;
(ii) मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना और फसलोत्तर नुकसान को कम करना;
(iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता;
(iv) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना का विकास;
(v) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना को मजबूत करना;
(vi) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना;
(vii) बेहतर बाजार संबंधों के माध्यम से रोजगार सृजन और किसानों की आय में वृद्धि; और
(viii) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।

पीएमकेएसवाई का उद्देश्य देश भर में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना

में वर्तमान में छह चल रही घटक योजनाएं और दो बंद हो चुकी घटक योजनाएं (दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी) शामिल हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक-वार प्रगति **अनुबंध I** में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और परिचालित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण, साथ ही जुटाई गई निवेश राशि और उत्पन्न रोजगार का ब्यौरा **अनुबंध II** में है।

(ग) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य फसलोत्तर नुकसान को कम करना और मूल्यवर्धन को बढ़ाना है। खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण कृषि उपज की मांग को बढ़ाता है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति और किसानों की आय में सुधार होता है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1256 परियोजनाएं परिचालन में हैं, जिससे लगभग 37.76 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। पीएमकेएसवाई एक मांग-आधारित योजना है और अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान-उत्पादक संबंधों को मजबूत करने हेतु, पीएमकेएसवाई एफपीओ को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें सामान्य श्रेणी के आवेदकों की तुलना में पात्रता शर्तें कम हैं, जैसे कि कम इक्विटी योगदान, कम न्यूनतम बैंक ऋण आवश्यकता और कम नेट-वर्थ की आवश्यकता।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, एफपीओ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या उन्नयन के लिए 10 लाख रुपये तक की 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, साझा अवसंरचना के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये तक के 35% अनुदान और राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर एफपीओ के समूहों के लिए 50% तक के अनुदान के रूप में ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता के पात्र हैं।

(घ) सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करती है। दिनांक 30.06.2026 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1735 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1256 परियोजनाएं परिचालन में हैं, जिससे 294.21 एलएमटी प्रति वर्ष की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण हुआ है। इस अवसंरचना के निर्माण से मूल्य संवर्धन में वृद्धि हुई है, खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हुआ है, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार हुआ है, पूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित क्षमताओं के माध्यम से फसलोत्तर नुकसान में कमी आई है, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में योगदान मिला है।

(ङ) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, मंत्रालय पात्र आवेदक संगठनों/संस्थानों/उद्यमियों, जिनमें ग्रामीण उद्यमी भी शामिल हैं, को पात्र परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई एक मांग-आधारित योजना है। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। बुंदेलखंड जैसे आकांक्षी और कृषि क्षेत्रों सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता की जांच की जाती है और लागू योजना दिशानिर्देशों के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है। निधि की उपलब्धता के अधीन, योग्यता के आधार पर स्वीकृत पात्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से, पीएमकेएसवाई कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और किसानों के लिए आय के अवसर बढ़ाता है।

अनुबंध ।

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर हेतु 'पीएमकेएसवाई की मुख्य विशेषताएं' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1951 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

'पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक-वार प्रगति						
क्र. सं.	****योजना**	**स्वीकृत परियोजनाएँ**	**पूर्ण / परिचालन परियोजनाएँ**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ में)**
1	एपीसी	73	25	2165.37	615.63	325.11
2	सीबीएफएल	60	53	686.71	165.91	150.45
3	सीसी	409	311	12130.40	3089.08	2540.89
4	सीईएफपीपीसी	630	388	10822.31	2462.68	1550.28
5	एफटीएल	203	177	1139.33	491.35	395.42
6	एमएफपी	41	25	4628.84	1945.59	1546.24
7	ओजी	36	25	1466.74	376.81	314.66
8.क	एचआरआई-आरएंडडी	257	227	104.80	102.47	82.85
8.ख	एचआरआई-कौशल	26	25	18.84	9.06	9.03
	कुल	**1735**	**1256**	**33163.34**	**9258.58**	**6914.93**

**कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों अवसंरचना सृजन योजना

**सीबीएफएल = बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना

**सीसी= एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना

**सीईएफपीपीसी= खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना

**एफटीएल = खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना

**एमएफपी = मेगा फूड पार्क

**ओजी= ऑपरेशन ग्रीन्स

**एचआरआई-आर एंड डी = अनुसंधान एवं विकास (मानव संसाधन और संस्थान योजना का उप घटक)

**एचआरआई-कौशल = मानव संसाधन और संस्थान – कौशल विकास (मानव संसाधन और संस्थान योजना का उप घटक)

अनुबंध II

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर हेतु 'पीएमकेएसवाई की मुख्य विशेषताएं' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1951 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 'पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और परिचालन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण, साथ ही जुटाई गई निवेश राशि और उत्पन्न रोज़गार।					
क्र.सं.	**राज्य**	**स्वीकृत परियोजनाएँ**	**पूर्ण / परिचालन परियोजनाएँ**	**रोजगार सृजन**	**निवेश लाभ करोड़ रुपये में**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	18	1	17265	264.11
3	अरुणाचल प्रदेश	5	0	2620	31.51
4	असम	27	17	6659	259.58
5	बिहार	5	0	3711	150.38
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	4	0	6559	100.70
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0
9	दिल्ली	1	0	0	0
10	गोवा	1	1	37	14.08
11	गुजरात	26	1	21188	446.46
12	हरियाणा	17	2	11980	290.59
13	हिमाचल प्रदेश	6	1	1597	44.39
14	जम्मू और कश्मीर	3	0	3947	50.57
15	झारखंड	0	0	0	0
16	कर्नाटक	24	3	20650	438.59
17	केरल	18	1	10702	287.68
18	लद्दाख	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	6	2	2725	104.03
21	महाराष्ट्र	42	7	34315	664.96
22	मणिपुर	1	1	29	3.07
23	मेघालय	1	0	37	10.14
24	मिजोरम	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0
26	ओडिशा	14	5	9475	172.77
27	पुदुचेरी	0	0	0	0
28	पंजाब	12	2	8618	190.90
29	राजस्थान	15	2	7750	231.28
30	सिक्किम	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	41	7	34417	616.92
32	तेलंगाना	28	9	13625	500.92
33	त्रिपुरा	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	17	3	8815	213.93
35	उत्तराखंड	18	2	8201	133.83
36	पश्चिम बंगाल	12	2	8850	222.28
	कुल	**362**	**69**	**243772**	**5443.67**
